बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2017

सं0 संख्या– 04/SV(NULM)–04/2015 415 /न0वि0एवंआ0वि0, बिहार फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार नगर स्थानीय निकायों एवं शहरी फुटपाथ विक्रय समितियों से परामर्श कर एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित स्कीम बनाती है, यथा–

अध्याय–I
प्रस्तावना।

1. **संक्षिप्त नाम एवं आरंभ।** – (1) यह स्कीम बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एव फुटपाथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2017 कही जा सकेगी।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें तथा राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं के लिए अलग–अलग तारीख नियत की जा सकेगी।

2. **परिभाषाएँ** । – (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 केन्द्रीय अधिनियम 7/2014);

(ख) 'उपयुक्त सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ग) 'स्थानीय प्राधिकार' से अभिप्रेत है नगर निगम या नगर परिषद् या नगर पंचायत या जिस नाम से जाना जाता हो (या छावनी बोर्ड, या जैसी स्थिति हो, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 47 के अधीन नियुक्त असैनिक क्षेत्र समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, जो उस नगर या शहर में नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराने एवं फुटपाथ विक्रय विनियमित करने हेतु किसी नगर या शहर में स्थानीय प्राधिकार के रूप में कृत्य करने को अधिकृत हो;

(घ) 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और पद 'अधिसूचित करना' तदनुसार समझा जाएगा;

(ङ) 'फुटपाथ विक्रेताओं से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति, जो दिनानुदिन उपयोगी वस्तुओं, उत्पादों, खाद्य सामग्रियों और सदृश पदार्थों को गली, फुटपाथ, सड़क, खड़ंजा, पार्श्वपथ, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान अथवा निजी क्षेत्र या किसी अस्थायी संरचना पर फुटपाथ विक्रय में लगे रहते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर

भ्रमण करते हुए विक्रय करते हैं, और इस फुटपाथ विक्रय में पैसे पर आधारित सेवा उपलब्ध कराना भी शामिल है और ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं के नाम स्थानीय या क्षेत्र विशेष के आधार पर फेरीवाला, ठेलावाला, खोमचावाला, रेहड़ीवाला जैसे पर्यायवाची नाम शामिल हो सकते हैं और अपने व्याकरणात्मक फेर–फार और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित 'फुटपाथ विक्रय' शब्द तदनुसार सन्निर्मित किया जाएगा;

(च) 'स्थायी फुटपाथ विक्रेताओं' से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो किसी स्थान विशेष पर रोजाना फुटपाथ विक्रय में लगे रहते हैं;

(छ) 'चलंत फुटपाथ विक्रेता' से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो अपने उत्पादों को विक्रय करने एवं पैसे पर आधारित सेवाएँ देने के लिए अभिहित क्षेत्र में विक्रय क्रिया–कलाप एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए करते हो;

(ज) 'त्योहारी बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ नगर या शहर के त्योहार के दिनों में विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए या पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर, स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;

(झ) 'विरासती बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जो एक ही स्थान पर 50 वर्षों से अधिक समय तक अस्तित्व में रहा हो और जहाँ विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;

(ञ) 'प्राकृतिक बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;

(ट) 'ताख बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार जहाँ विक्रेता एवं क्रेता ताख पर रखने योग्य उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;

(ठ) रात्रि बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ विकेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से शाम के बाद यानी रात्रि के समय एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;

(ड) 'मौसमी बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ किसी विशेष मौसम के दरम्यान विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और ऐसे बाजार शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किए गए हों;

(ढ) 'साप्ताहिक बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ सप्ताह में किसी खास दिन विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और ऐसे बाजार शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किए गए हों;

(ण) 'शहरी फुटपाथ विक्रय समिति' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा गठित निकाय;

(त) 'फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र' से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रय के लिए फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा किए जानेवाले विशेष उपयोग के लिए ऐसा क्षेत्र या स्थान, जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अभिहित हो और ऐसी जगह या स्थान में फुटपाथ, पार्श्वपथ, खड़ंजा, मेड़, सड़क का कोई हिस्सा, सार्वजनिक प्रतीक्षालय या ऐसा कोई स्थान सम्मिलित है, जो फुटपाथ विक्रय और सामान्य जन को पैसे पर आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त समझा गया हो;

(थ) 'योजना' से अभिप्रेत है धारा 22 की प्रथम अनुसूची के अधीन बनाई गई योजना;

(द) 'योजना प्राधिकार' से अभिप्रेत है मास्टर योजना या विकास योजना या प्रक्षेत्रीय योजना या अभिन्यास योजना या किसी अन्य स्थानिक योजना में किसी विशेष क्रिया–कलाप के लिए क्षेत्रों के ठीक ठाक विस्तार को परिभाषित करते हुए भूमि उपयोग के विनियमन हेतु उत्तरदायी उपयुक्त सरकार द्वारा किसी नगर या शहर में अभिहित नगर विकास प्राधिकार या कोई अन्य प्राधिकार जो, यथास्थिति, तत्समयप्रवृत शहर और देहात योजना अधिनियम या नगर विकास अधिनियम या नगरपालिक अधिनियम के अधीन वैधतः लागू होने योग्य।

(ध) 'सार्वजनिक उद्देश्य' में अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित सम्मिलित है–

(क) मार्गों, सड़कों, गलियों को चौड़ा करना;

(ख) मार्गों, सड़कों, गलियों के पथ–पृष्ठों का स्थान बदलना;

(ग) भूमिगत मार्ग बनाना;

(घ) कुछ सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक प्राधिकारों के स्वामित्व वाली भूमि का विकास;

(ङ) जल एवं नालों की व्यवस्था करना;

(च) सेवाओं के लिए मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन स्थापित करना;

(छ) बिहार पथ परिवहन सेवा, मेट्रो आदि जैसे, सार्वजनिक यातायात से संबंधित कोई परियोजना;

(ज) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासन की व्यवस्था;

(झ) उद्यान, वाटिका और मनोरंजक क्षेत्र बनाया जाना;

(ञ) उस क्षेत्र में पारिस्थितिक संसाधन का संरक्षण और

(ट) स्थानीय प्राधिकार द्वारा लिया गया कोई अन्य विकास कार्य, जिसके हिताधिकारी बड़े पैमाने पर समुदाय होगा;

(न) 'स्कीम' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 38 की द्वितीय अनुसूची के अधीन बनाया गया स्कीम;

(प) 'धारा' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(फ) 'धारण क्षमता' से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेताओं की अधिकतम संख्या, जिसे किसी फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र में समायोजित किया जा सकता है और जिसे शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किया गया हो;

(ब) 'शिकायत निवारण समिति' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन बिहार सरकार द्वारा गठित समिति;

2. अधिनियम में परिभाषित और इस स्कीम में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके प्रति समानुदेशित किए गए हों।

अध्याय–II
सर्वेक्षण की रीति।

3. **सर्वेक्षण की प्रक्रिया।**– (1) नगर विक्रय समिति स्वयं या अन्य उपयुक्त एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण करायेगा ।

(2) प्रस्ताव का पर्याप्त प्रचार निम्नलिखित रीति से की जायेगी :–

(i) अपना वेवसाईट पर,

(ii) क्षेत्र के स्थानीय भाषा में कोई दो प्रसिद्ध सथानीय समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा,

(iii) कार्यालय के सूचनापट्ट पर लगाना, और

(iv) स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय बाजार के किसी विशिष्ट स्थान पर एक प्रति लगाना।

(3) पूर्व सूचना के पश्चात् फुटपाथ विकेता के सर्वेक्षण के लिये कैम्प का आयोजन किया जा सकता है।

4. सर्वेक्षण का प्रतिफल डिजिटल प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।

5. सर्वेक्षण प्रतिवेदन में इस बात का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि फुटपाथ विक्रय करने का माध्यम कौन–सा है और इसको मानचित्र पर दर्शाया भी जाएगा। फुटपाथ विक्रय की रीति निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती हैं:–

(1) ठेलागाड़ी / मोटरवाहन;

(2) जमीन पर रखकर–बिछाकर;

(3) खोमचा तथा लकड़ा का इस्तेमाल कर

6. अधिनियम के उपबंधों और स्कीम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति, यथासाध्य सुनिश्चित करेगी कि कंडिका (3) के अधीन किए गए सर्वेक्षण में चिह्नित सभी विद्यमान फुटपाथ विक्रेता फुटपाथ विक्रय क्षेत्र में समायोजित हों।

अध्याय–III
पहचान पत्र एवं विकय प्रभाण पत्र निर्गत करने की रीति ।

7. **वह अवधि, जिसके अंतर्गत सर्वेक्षणाधीन चिह्नित फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान पत्र एवं फुटपाथ विक्रय का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा–** सर्वेक्षण के दौरान चिह्नित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम समयावधि के भीतर पहचान पत्र एवं प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा।

8. **शर्तें एवं निबंधन, जिसके अध्यधीन फुटपाथ विक्रेता को और ऐसे व्यक्तियों को भी जो दो सर्वेक्षणों के बीच में पड़ने वाले अवधि में फुटपाथ विक्रय करने की इच्छा रखते हों, को पहचान पत्र एवं प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकेगा।** मानदंड जिसके तहत फुटपाथ विक्रेताओं को, पहचान पत्र एवं विकय प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा–

(i) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण में नाम होगा ;

(ii) केवल फुटपाथ विक्रय में ही लगा होगा, न कि किसी अन्य पेशे में ;

(iii) उसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य स्थान में कोई और दूसरा फुटपाथ विक्रय का स्थल न हो, फिर भी उसके जीवन सहचर और चौदह वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे को अलग फुटपाथ विक्रय स्थल हो सकता है;

(iv) स्वयं द्वारा या परिवार या किसी अन्य व्यक्ति (जिसकी आयु चौदह वर्ष हो चुकी हो) द्वारा फुटपाथ विक्रय किया जा सकेगा;

(v) कोई भी फुटपाथ विक्रेता जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;

(vi) नये फुटपाथ विक्रेता जो दो सर्वे की अवधि के बीच, फुटपाथ विक्रय करना चाहते हैं, वे नगर विक्रय समिति के समक्ष पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकेंगे।

9. **प्रपत्र और रीति, जिस प्रारूप और जिस रीति से फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र फुटपाथ विक्रेता को निर्गत किया जाएगा–**

(i) फुटपाथ विक्रेता का फोटो–

(ii) फुटपाथ विक्रेता का नाम–

(iii) फुटपाथ विक्रेता के साथ लगे हुए उसके आश्रित सहभागी या आश्रित बच्चे का नाम–

(iv) व्यक्ति/ व्यक्तियों की आयु एवं लिंग, जिनके फोटो दिए गए हों–

(v) आवास का पता–

(vi) फुटपाथ विक्रेता की कोटि (चलंत/ स्थायी/ प्राकृतिक/ साप्ताहिक आदि)–

(vii) फुटपाथ विक्रय का स्थल (क्या यह ऐतिहासिक स्थान या पार्क या बाजार या विद्यालय/ महाविद्यालय/ अस्पताल/ बस–पड़ाव या मॉल आदि के सामने है।)–

(viii) नगरपालिक निकाय का नाम–

(ix) फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र निर्गत करने की तिथि–

(x) विधि मान्यता (चूँकि कानून प्रत्येक पाँच वर्ष पर सर्वेक्षण का उपबंध करता है, फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र भी पाँच वर्ष के लिए निर्गत होना चाहिए–

(xi) अनन्य रजिस्ट्रेशन संख्या–

10. **प्रपत्र और रीति, जिस प्रारूप में तथा जिस रीति से फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान–पत्र निर्गत किया जाना है–**

(i) फुटपाथ विक्रेता का नाम–

(ii) आयु–

(iii) लिंग–

(iv) आवास का पता–

(v) फुटपाथ विक्रय–स्थल का पता–

(vi) फोटो–

(vii) दूरभाष संख्या–

(viii) फुटपाथ विक्रय की कोटि–

(ix) नगरपालिक वार्ड या प्रक्षेत्र संख्या–

(x) थाना–

(xi) विधिमान्यता अवधि–

(xii) प्राधिकार का हस्ताक्षर मुहर सहित–

11. **पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण–पत्र की विधिमान्यता अवधि**– पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण–पत्र फीस भुगतान की साधारण प्रक्रिया के तहत प्रत्येक पाँच वर्षों की अवधि के पश्चात् नवीकृत की जाएगी। फीस जमा किया जाना और रसीद निर्गत किया जाना, दोनों को, फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र के नवीकरण का पर्याप्त साक्ष्य समझा जाएगा।

अध्याय–IV
विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण, निलंबन एवं रद्दीकरण।

12. **अवधि जिसके लिए और वह रीति जिस रीति से फुटपाथ विक्रय का प्रमाण–पत्र नवीकृत किया जाएगा और ऐसे नवीकरण के लिए फीस।–**

(1) फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। फीस जमा किया जाना और फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र का नवीकरण की साधारण प्रक्रिया होगी।

नगर विक्रय समिति ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं की सूची प्रदर्शित करेंगें, जिनके फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र के नवीकरण की उचित तिथियाँ दो महीनों की अवधि के भीतर हो। उक्त सूची में नवीकरण में लगनेवाली रकम और नवीकरण के स्थान या संस्था भी उपदर्शित हो, ताकि पता चले कि रकम कहाँ जमा करना है और नवीकरण की प्रक्रिया कहाँ होगी।

(2) नगर विक्रय समिति फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र को नवीकरण फीस का भुगतान करने में चूक करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं की सूची प्रकाशित करेगी।

(3) फुटपाथ विक्रय का नवीकरण फीस रुपये 500/– से कम नहीं होनी चाहिए।

(4) बिना किसी अर्थ–दंड के एक महीने की अवधि की सुविधा उन्हें दी जाएगी।

(5) पहचान पत्र या विक्रय प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, नगर विक्रय समिति फुटपाथ विकेता से पचास रू0/ की प्राप्ति के पश्चात्, पहचान पत्र या विक्रय प्रमाण पत्र की अनुलिपि जारी कर सकती है, ।

13. **रीति जिस रीति से फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र निलंबित या रद्द किया जा सकेगा।–**

शहरी फुटपाथ विक्रय समिति फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र में अधिकथित शर्तों के भंग किए जाने के दोषी पाए जाने वाले उत्पाद विक्रेता पर जुर्माना अधिरोपित करेगी और चेतावनी देगी। शर्तों के भंग में निम्नलिखित बातें होंगी:–

(i) यदि फुटपाथ विक्रेता फुटपाथ विक्रय अनुज्ञप्ति में उल्लिखित क्षेत्र/ बाजार से इतर जगह में फुटपाथ विक्रय कर रहा हो;

(ii) उसने फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र पाने के लिए अपनी आयु की बाबत गलत सूचना दी हो (न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए);

(iii) यदि आवंटित क्षेत्र को बढ़ा लिया जाए या अतिरिक्त क्षेत्र को अनधिकृत रूप से कब्जा में कर लिया गया हो;

(iv) खाद्य सामग्रियों के फुटपाथ विक्रेताओं की स्थिति में यदि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अधीन रजिस्ट्रेशन न कराया गया हो;

(v) यदि आवंटित स्थान पर स्थायी संरचना बना दिया गया है

(vi) यदि फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा या पट्टे पर दिया जाए;

(vii) यदि नवीकरण की विहित अवधि के समापन के पश्चात् फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र का नवीकरण न किया गया हो;

(viii) यदि किसी फुटपाथ विक्रेता ने चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को इस काम में लगा दिया हो। बाल–श्रम (प्रतिषेध एवं उपविधि विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत ऐसे फुटपाथ विक्रेता को शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा चेतावनी दी जाएगी। ऐसे फुटपाथ विक्रेता द्वारा न मानने पर उनका फुटपाथ विक्रय प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(ix) महिला फुटपाथ विक्रेता से दुर्व्यवहार करने के दोषी फुटपाथ विक्रेता को एक चेतावनी दी जाएगी, जब व्यथित द्वारा लिखित शिकायत की गई हो।

(x) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को कार्य–स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता के अधीन महिला पदधारी की अध्यक्षता वाली एक समिति गठित करनी चाहिए।

अध्याय–V
फुटपाथ विकेता की कोटि एवं फीस।

14. **फुथपाथ विक्रेताओं की कोटियॉं।** – फुटपाथ विक्रेताओं को भी निम्न रूपेण कोटिगत किया जा सकता है:–

(i) स्थायी ;

(ii) चलंत ;

(iii) कोई अन्य, जिसे राज्य सरकार किसी नाम से उपबंधित करे।

15. **पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण – पत्र निर्गत करने हेतु अधिमानता पर आधारित व्यक्तियों की अन्य कोटियाँ।** – नगर विक्रय समिति वरीय नागरिक, दिव्यांग, एकाकी माँ और विधवाओं के लिए प्राथमिकता तय करेगी।

16. फुटपाथ विक्रय की कोटि पर आधारित विभिन्न नगरों के लिए अलग–अलग भुगतान की जाने वाली फुटपाथ विक्रय फीस। – फुटपाथ विक्रय फीस फुटपाथ विक्रेताओं की कोटि और बाजार की स्थिति को देखते हुए तय होगी।

(व्याख्या – संभावित आय हर क्षेत्र में अलग–अलग होता है, जहाँ लोग ज्यादा एकत्रित होते हैं, वहाँ फुटपाथ विक्रय अधिक होने की संभावना होती है, सिवाय उसके जहाँ लोग कम संख्या में एकत्रित होते हैं। इसलिए फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों की विभिन्न कोटियों के लिए विभिन्न दरों पर फीस नियत करना उचित होगा। विभिन्न कोटियों के नगरों और शहरों के लिए भी अलग–अलग दरें तय की जाएगी।)

शहरी फुटपाथ विक्रय समिति क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों के इकट्ठा होने के मद्देनजर फुटपाथ विक्रय से आमद का आकलन करते हुए फीस/उद्ग्रहण तय करेगी, लेकिन यह फीस प्रतिमाह न्यूनतम रुपये 150/– और अधिकतम रुपये 1500/–होगी। प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 10% की वृद्धि फीस में होगी। स्थानीय प्राधिकार फुटपाथ विक्रय फीस वार्षिक रूप से संग्रह कर सकता है, यदि यह उपयुक्त समझा जाए।

17. बैंकों, स्थानीय प्राधिकार के काउंटरों और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के काउंटरों के माध्यम से फुटपाथ विक्रय शुल्क संग्रहण, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रभार और अर्थ–दंड के संधारण, चलंत स्टॉलों के लिए वाहन पड़ाव स्थल के उपयोग और नागरिक सेवाओं की उपलब्धता की बाबत रीति।–प्रत्येक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को एक बैंक खाता होगा और फुटपाथ विक्रेता विहित प्रपत्र में ब्यौरा के साथ उस लेखा में प्रतिमाह या प्रतिवर्ष रकम जमा करेंगे। लेखा की वार्षिक संपरीक्षा शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा पूरी की जाएगी। संबंधित स्थानीय प्राधिकार शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के लिए संग्रहण हेतु अपनी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र है।

अध्याय–VI
फुटपाथ विक्रेता के विस्थापन एवं पुनर्स्थापन।

18. सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए किसी फुटपाथ विक्रेता को विक्रय का पुनर्स्थापन नियत किया जा सकेगा और पुनर्स्थापन नियत करने की रीति।–

(1) सार्वजनिक प्रयोजन की कोई परियोजना जो परियोजना संबंधित क्षेत्र में फुटपाथ विक्रेताओं के स्थायी या अस्थायी रूप से जगह बदले जाने की अपेक्षा करती हो, वहाँ संबंधित प्राधिकार पुनर्स्थापन अवधारण के लिए निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर विचार करेंगें :–

(i) निर्माण/विकास की समयावधि में फुटपाथ विक्रेताओं को नजदीकी स्थान पर स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से समायोजित किया जा सकेगा।

(ii) परियोजना के पूरा होने के पश्चात् उस सार्वजनिक प्रयोजन के क्षेत्र में फुटपाथ विक्रेताओं को उसी स्थान पर संभव होने की हद तक समायोजित किया जा सकेगा, लेकिन न तो यह अनिवार्य है और न तो अधिदेशात्मक।

(2) किसी सार्वजनिक प्रयोजन के अधीन फुटपाथ विक्रेताओं का पुनर्वास निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने की अपेक्षा करेगा –

(क) जहाँ से फुटपाथ विक्रेताओं का स्थान बदला जाना है, उस क्षेत्र में व्यक्तियों के जमावड़ा की स्थिति का आकलन,

(ख) ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं की कुल संख्या, जिनका स्थान बदला जाना हो,

(ग) वैकल्पिक स्थलों पर जमावड़ा की स्थिति,

(घ) वैकल्पिक स्थलों पर धारण क्षमता,

(ङ) परियोजना की समाप्ति के पश्चात् फुटपाथ विक्रय स्थल की संभावित उपलब्धता,

(च) फुटपाथ विक्रेताओं के जगह बदले जाने की बाबत नए स्थलों का स्थायी आवंटन खेपों में किया जा सकेगा,

(छ) उस स्थिति में जब मूल स्थल के फुटपाथ विक्रेताओं की संख्या उस संख्या से अधिक हो, जिसे परियोजना की समाप्ति के पश्चात् समायोजित किया जा सकेगा, खेप द्वारा आवंटन अपनाई जा सकती है,

(ज) सरकारी जमीन पर व्यवसाय करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं को या तो सार्वजनिक प्राधिकार के स्वामित्व वाले भूखंड में रखा जा सकता है, या फिर सड़क पर स्थान की उपलब्धता को देखते हुए उन्हें वहाँ विक्रय करने दिया जा सकता है,

19. **फुटपाथ विक्रेता को बेदखल करने की रीति। –** (1) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को अपनी कार्यसूची प्रस्तुत करनी चाहिए और बेदखली के एक माह की नोटिस के निर्गत के पूर्व दो महीने पहले फुटपाथ विक्रेताओं की बेदखली के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि फुटपाथ विक्रेताओं के लिए उसी तरह के फुटपाथ विक्रय स्थल को चिह्नित करने के लिए सर्वेक्षण कराया जा सके।

(2) बेदखली की प्रक्रिया के पूर्व एक महीने के लिखित नोटिस फुटपाथ विक्रेता के नाम से रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील कराया जाना चाहिए। इसे हाथों – हाथ भी तामील कराया जा सकता है।

(3) उस स्थिति में, जब रजिस्ट्रीकृत डाक अवितरित हुए लौट जाए, तो उक्त नोटिस को उस क्षेत्र में चिपका देना चाहिए, जहाँ पर वह फुटपाथ विक्रय कर रहा है और इसको भी नोटिस का तामील किया जाना समझा जाए।

20. **फुटपाथ विक्रेता को बेदखली का नोटिस देने की रीति।–** नोटिस देने की रीति निम्नलिखित होगी:–

(1) अधिनियम की धारा 18 के अधीन बेदखली के एक माह पूर्व नोटिस

(2) बेदखली का नोटिस फुटपाथ विक्रेता के नाम से होना चाहिए, जिसे रजिस्ट्रीकृत डाक या हाथों–हाथ नोटिस तामीला कराते हुए उसके फुटपाथ विक्रय वाली जगह से बेदखल किया जाना है।

21. बेदखल में चूक करने पर भौतिक रूप से फुटपाथ विक्रेता को बेदखल की रीतिः–

(1) अधिनियम की धारा 18 के अधीन ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो बेदखली नोटिस अवधि के समापन के बाद जगह नहीं छोड़ते हैं, को उस जगह पर बने रहने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।

(2) फुटपाथ विक्रेता द्वारा भुगतेय व्यतिक्रम रकम या अर्थ–दंड केवल रू0 250/– तक ही हो सकता है। फिर भी, अर्थ – दंड की रकम जब्त मालों के मूल्य से अधिक नहीं होगी।

अध्याय–VII
वस्तुओं की जप्ती।

22. स्थानीय प्राधिकार द्वारा मालों की जब्ती, जप्त वस्तुओं की सूची बनाये जाने और उसे निर्गत करने की रीति।– अधिनियम की धारा 19 के अधीन वस्तुओं की जब्ती की बाबत निम्नलिखित कदम उठाया जा सकेगा:–

(i) स्थानीय प्राधिकार के केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही वस्तुओं की जब्ती करेंगे;

(ii) जब्त वस्तुओं की सूची संबद्ध प्राधिकार द्वारा बनाई जाएगी और उसे संबद्ध प्राधिकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा;

(iii) ऐसे फुटपाथ विक्रेता को जिनके सामानों की जब्ती की गई हो प्राधिकार द्वारा सही रसीद दिया जाएगा।

23. फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा अपने जब्त किए गए मालों की पुनर्प्राप्ति की रीति और इसके लिए फीस।– (1) धारा 19 (2) के अधीन स्थानीय प्राधिकार शीघ्र नष्ट होने वाले जब्त मालों को ऐसी जब्ती के ही दिन विमुक्त कर सकेगा और शीघ्र नष्ट न होने वाले मालों को दो कार्यदिवसों के भीतर विमुक्त कर सकेगा।

(2) मालों की पुनर्प्राप्ति हेतु फुटपाथ विक्रेता द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस उस विक्रेता के कुल जब्त मालों के मूल्य से अधिक नहीं हो सकेगी।

(3) बिना प्रमाण – पत्र के फुटपाथ विक्रय करने की स्थिति में, ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं के जब्त मालों की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रभार रू0 500/– से अधिक नहीं हो सकेगी।

(4) शीघ्र नष्ट होने वाले मालों की स्थिति में फुटपाथ विक्रेता से आवश्यक अर्थ – दंड का भुगतान लेकर उन्हें अपने मालों को तुरंत या फिर अगले चौबीस घंटों में कार्यावधि के भीतर वापस लेने का विकल्प दिया जा सकेगा।

अध्याय–VIII
सामाजिक अंकेक्षण।

24. **प्रपत्र एवं रीति, जिसके तहत शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की सामाजिक संपरीक्षा कार्यान्वित करने प्रारूप और रीति और अभिलेखों का संधारण।**– प्रत्येक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति धारा 26 (3) के अधीन सामाजिक संपरीक्षा करवाने के प्रयोजनार्थ त्रिसदस्यीय यूनिट गठित करेगी। सामाजिक संपरीक्षा यूनिट एक स्वतंत्र निकाय होगा।

(1) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट में निम्नलिखत सम्मिलित होंगेः–

(क) प्रख्यात शिक्षाविद्, जो समाजशास्त्र के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हों;

(ख) प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता;

(ग) सेवानिवृत्त प्रशासक;

स्थानीय प्राधिकार द्वारा सहाय्य पर्याप्त अनुसचिवीय स्टाफ, कार्यालय का स्थान और उपस्कर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) सामाजिक संपरीक्षा तीन वर्षो में कम–से–कम एक बार की जाएगी। उपयुक्त समय पर सामाजिक संपरीक्षा किए जाने की अनुसूची विनिश्चित की जाएगी।

(3) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति, सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के आरंभ होने के कम से कम एक पखवाड़ा पूर्व सभी सुसंगत सूचनाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराएगी, जिसमें निम्नलिखित बातों का समावेश होगाः–

(क) अधिनियम के कार्यान्वयन और फुटपाथ विक्रेताओं के स्कीम की स्थिति;

(ख) उन वर्षो में हुए शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख;

(ग) सभी रजिस्ट्रीकृत फुटपाथ विक्रेताओं का अभिलेख;

(घ) अधिनियम की धारा 11 के अधीन स्थानीय प्राधिकार के समक्ष किए गए अपीलों का अभिलेख;

(ङ) अधिनियम की धारा 20 के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष लाए गए सभी परिवादों/विवादों का अभिलेख;

(च) उन वर्षों में हुए फुटपाथ विक्रेताओं की बेदखली और मालों की जब्ती और पुनरर्थान निर्धारण की बाबत ब्योरों और उनकी कुल संख्या का अभिलेख;

(छ) सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदनों का अभिलेख, यदि पहले हुआ हो।

(4) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट अधिनियम और स्कीम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर फुटपाथ विक्रेताओं के साथ बैठकें आयोजित करेगा, जो सामूहिक विचार – विमर्श पर केंद्रित होगा।

(5) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा सामना किए गए किसी मुद्दे की बाबत लिखित परिवाद अभिलिखित करेगा।

(6) सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के चरम बिंदु पर, यूनिट लिखित रूप में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(7) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति कार्यालय में सामाजिक संपरीक्षा सार्वजनिक बैठक आयोजित करेगा। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के सदस्य और स्थानीय प्राधिकार के प्रतिनिधिगण बैठक में भाग लेंगे। क्षेत्र विशेष के फुटपाथ विक्रेता और सार्वजनिक रूप से अन्य व्यक्ति बैठक में भाग ले सकेंगे। सामाजिक संपरीक्षा यूनिट बैठक में अपने निष्कर्षो को पढ़कर सुनाएगा। फुटपाथ विक्रेताओं को इसे प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति भी प्रभावित पक्षकार और जनता को स्पष्टीकरण और/या व्याख्या करते हुए सामाजिक संपरीक्षा में चिह्नित प्रत्येक मुद्दों की बाबत अनुक्रिया करेगा कि क्यों अपरिहार्य कार्रवाई की गई या न की गई।

(8) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट, सर्वसाधारण सूचना द्वारा, सामाजिक संपरीक्षा सार्वजनिक बैठक की समुचित सूचना देगा।

(9) स्थानीय प्राधिकार अंतरालों, व्यपगतों या विचलनों की स्थिति में सामाजिक संपरीक्षा में प्रत्येक निष्कर्ष पर उत्तरदायित्व नियत करेगा और तुरंत सुधारात्मक या अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। विवाद की स्थिति में स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक जाँच की जाएगी और कम–से–कम समय में, जो किसी भी स्थिति में एक माह के बाद न हो, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(10) सामाजिक संपरीक्षा करने की कानूनी अपेक्षा लेखा के सामान्य संपरीक्षा करने के किसी स्वतंत्र पहल को प्रतिबाधित न करेगा

(11) इस प्रक्रिया में समर्पित सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन अभिलेख का भाग बनेगा और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा उस दिशा में कार्य किया जाएगा। जहाँ भी जो कसर पाई जाए, नियमावली के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन और कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अभिलेख का भाग बनेगा और जनसाधारण सूचनार्थ होगा।

(12) सामाजिक संपरीक्षा करने का बजट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के लिए अनुमत प्रशासनिक लागत में से आवंटित किया जाएगा।

अध्याय–IX
प्रकीर्ण।

25. शर्ते, जिनके अधीन निजी स्थानों को प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र, प्रतिबंधित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र और गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।– जहाँ स्थानीय प्राधिकार विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में कोई निजी भूमि की घोषणा का निर्णय लेता हो, यह उस क्षेत्र में अतिरिक्त तल जमीन तालिका या तल क्षेत्रीय अनुपात के रूप में क्षति–पूर्ति संभावनाओं पर विचार

करेगा या स्थानीय प्राधिकार के सामान्य विकास नियंत्रण विनियमन की दशा में उसका प्रावधान रखेगा। फुटपाथ विक्रेता को मात्र नीचले तल पर समायोजित किया जाना है।

26. **सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए अनुपालन किए जाने वाले मानकों सहित फुटपाथ विक्रेताओं के लिए शर्तें एवं निबंधन।**– (1) संबंधित क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकार को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए इन फुटपाथ विक्रेताओं को एक उचित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपने अपशिष्ट पदार्थो का वहाँ निपटान कर सकें।

(2) फुटपाथ विक्रेताओं को अपशिष्ट पदार्थो के निपटान हेतु समुचित ढक्कन वाले कूड़ेदानों का इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल किए गए जल को भी ढक्कन वाले किसी बर्त्तन में निपटान किया जाएगा।

(3) स्थानीय प्राधिकार को, जहाँ कहीं संभव हो, फुटपाथ विक्रेताओं को स्वच्छ और ताजा जल तथा सड़क प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित और उपलब्ध करना होगा।

(4) फुटपाथ विक्रय के खाली स्थानों के नजदीक सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से जल एवं प्रकाश व्यवस्था सहित साफ और समुचित रूप से निर्मित शौचालयों का उपबंध करने के लिए प्रयास किया जाएगा।

(5) प्रत्येक फुटपाथ विक्रेता को सेवा अभिलेख – पुस्त रखना होगा और केवल शहरी फुटपाथ विक्रय समिति उसका मूल्यांकन कर सकता है/कर सकेगा। उक्त मूल्यांकन पर आधारित शहरी फुटपाथ विक्रय समिति फुटपाथ विक्रेता को पुरस्कार अधिनिर्णीत कर सकेगा, या फिर उस पर जुर्माना लगा सकेगा।

27. **राज्य स्तर पर फुटपाथ विक्रय से संबंधित सभी मामलों के समन्वयन के लिए राज्य नोडल पदाधिकारी का पदनाम।** – (1) अभिहित नोडल पदाधिकारी संयुक्त सचिव के अन्यून स्तर का न होना चाहिए।

(2) नोडल पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्र – स्तरीय मुद्दों से स्वयं को भली – भाँति अवगत कराने के लिए स्थानीय प्राधिकारों के साथ कम–से–कम अर्द्धवार्षिक बैठक करेंगे।

(3) नोडल पदाधिकारी फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा सामना किए गए समस्याओं की बाबत उनसे प्रतिपुष्टि – प्रपत्र ले सकेंगे।

28. **फुटपाथ विक्रेताओं की बाबत शहरी फुटपाथ विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकार, योजना प्राधिकार और राज्य नोडल पदाधिकारी द्वारा समुचित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के संधारण की रीति।**–(1) फुटपाथ विक्रेताओं के अभिलेखों को रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।

(2) स्थानीय प्राधिकार को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं के डाटा की प्रविष्टि करनी होगी ।

(3) फुटपाथ विक्रय का प्रमाण–पत्र और पहचान–पत्र ऑनलाईन निकाला जाएगा।

29. समय मुताबिक फुटपाथ विक्रय क्रिया–कलाप करने की रीति –(1) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति बाजार की आवश्यकताओं पर आधारित इसे अवधारित करेगा।

(2) महिला फुटपाथ विक्रेताओं के साथ समय मुताबिक विक्रय क्रिया कलाप के मद्देनजर भेद–भाव नहीं किया जाएगा।

30. प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र, प्रतिबंधित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र और गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र को अवधारित करने के सिद्धांत।–

(1) लोगों की आवाजाही की तीव्रता, सड़क की चौड़ाई और वाहन–सवारों तथा पैदल यात्रियों की अधिकता को देखते हुए ही फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र और गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र विनिश्चित किया जाएगा। नगर में प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र न होंगे और गैर फुटपाथ प्रक्षेत्र काफी न्यूनतम होना चाहिए। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति अधोविनिर्दिष्ट तरीके से किसी विशेष सड़क या बाजार को फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र या गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में विनिश्चित करेगी और तदनुसार जगह आवंटित की जाएगी।

(2) नगर में सभी प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र नहीं होंगे। उस क्षेत्र की निर्वाह– क्षमता ही फुटपाथ विक्रताओं की संख्या की अंतिम सीमा अवधारित करेगा, जिन्हें किसी क्षेत्र में अवस्थित किया जा सकता है। फिर भी, इस क्षेत्र में चलंत फुटपाथ विक्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यदि फुटपाथ विक्रेता, यातायात और अन्यत्रवासी को बिना बाधा पहुँचाए हुए लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हों। ऐसी स्थितियों में भी शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को खास आवाजाही वाले क्षेत्र और उस क्षेत्र की एक तिहाई धारण –क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसे चलंत फुटपाथ विक्रेताओं को स्थान सुविधा दिए जाने के लिए उनकी कुल संख्या पर विनिश्चय करना है, अन्यथा इस बात की पूरी संभावना बनी रहेगी कि चलंत फुटपाथ विक्रेता अपनी दुकानदारी के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहने के कारण वाहन मार्ग में बहुधा आकर यातायात संचालन में व्यवधान उत्पन्न करते रहेंगे।

(3) **प्रतिबंधित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र निम्नलिखित रीति से सड़क की चौड़ाई से जोड़े जाएंगे:–**

(क) 3.5 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर कोई भी स्थायी फुटपाथ विक्रय नहीं होगा।

(ख) 3.5 मीटर से 6.0 मीटर के बीच की चौड़ी सड़क पर कोई भी स्थायी फुटपाथ विक्रय नहीं होगा। फिर भी, फुटपाथ विक्रय उस स्थिति में अनुमत होगी, जब ऐसे सड़क को गैर वाहन परिचालन सड़क के रूप में घोषित किया जाए। ऐसी परिस्थिति में फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र 2.0 मीटर तक सीमित होगा।

(ग) छः मीटर से नौ मीटर के बीच की चौड़ी सड़क पर कोई भी स्थावर फुटपाथ विक्रय नहीं होगा। फिर भी, फुटपाथ विक्रय उस स्थिति में अनुमत होगी, जब ऐसे सड़क को गैर वाहन परिचालन सड़क के रूप में घोषित किया जाए।

(घ) 12 मीटर से 24 मीटर के बीच की चौड़ी सड़क पर केवल एक तरफ स्थावर फुटपाथ विक्रय होगा, जबकि 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर दोनों तरफ स्थावर फुटपाथ विक्रय होगा।

(ङ) ऐसी सड़क के प्रत्येक अभिहित फुटपाथ विक्रय क्षेत्र की धारण शक्ति पर विचार करते हुए फुटपाथ विक्रेताओं की संख्या विनिश्चित की जाएगी।

(च) व्यवधानरहित वाहन परिचालन और पैदल यात्री आवागमन के मद्देनजर यातायात पुलिस से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेने के बाद ही ऐसे स्थावर फुटपाथ विक्रय की अनुमति दी जाएगी। यदि अपेक्षित हो, तो सड़क के किनारे वाहन पड़ाव को ऐसे क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाएगा, जहाँ फुटपाथ विक्रय अनुमत हो।

(छ) यातायात संचालन और पैदल यात्री आवागमन को देखते हुए चलंत फुटपाथ विक्रय अनुमत किया जाएगा।

(ज) स्कीम के लिये एक परामर्शी सड़क रूपरेखा अनुसूची के रूप में संलग्न है।

(4) गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र निम्नलिखित होंगें :– सचिवालय, जिला समाहरणालय, जिला पंचायत के कार्यालय, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, न्यायालय, छावनी बोर्ड और राज्य पुरातत्वीय स्मारकों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों के निकट एवं दो या दो से अधिक सड़कों के पारगामी किसी भी तरफ एवं रेल समपार के दोनो तरफ तथा स्थानीय प्राधिकार द्वारा घोषित किसी ऐतिहासिक धरोहरों एवं फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के बीच की दूरी तय करने का निर्णय शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के द्वारा विशिष्ट क्षेत्र के संदर्भ में स्वविवेक से लिया जा सकेगा।

31. **फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों की धारण क्षमता को अवधारित करने के सिद्धांत और व्यापक जनगणना एवं सर्वेक्षण की जिम्मेवारी लेने की रीति।–** (1) अधिनियम की धारा (3) के अधीन वार्ड/प्रक्षेत्र के फुटपाथ विक्रेताओं की 2.5% जनसंख्या को धारण – क्षमता के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

(2) किसी फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र की धारण – क्षमता उस फुटपाथ विक्रय क्षेत्र के कुल क्षेत्र द्वारा विभाजित फुटपाथ विक्रय स्थल के अनुसार होगा। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा व्यक्तिगत फुटपाथ विक्रेताओं को आवंटित किए जानेवाले क्षेत्र के लिए मानदंड निम्नवत रखे जाएंगे–

(i) 1.6 मीटर x 1.2 मीटर लंबाई–चौड़ाई के अधिकतम 2 वर्गमीटर क्षेत्र को फुटपाथ विक्रय क्षेत्र के रूप में प्रत्येक फेरीवाला/फुटपाथ पर बेचने वाले को उपलब्ध कराया जाएगा।